



फोन नं. 07723-223834
फैक्स नं. 07723-224036
email :zp-msamund.cg@nic.in

कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमांक / PMAY-G / जि.पं. / प्रे.वि. / 5919 / 2024-25

महासमुन्द, दिनांक 30/09/2024

// प्रेस-विज्ञापित //

संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/1251/PMAY-G/स्था./31/2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/09/2024 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत रिक्त अधोलिखित पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन उपरान्त अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 30/09/2024 से दिनांक 15.10.2024 तक सायं 05:30 बजे तक निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, उक्त रिक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं विस्तृत जानकारी, जिला महासमुन्द के वेब-साईट www.mahasamund.gov.in एवं जिला पंचायत/जनपद पंचायतों, जिला महासमुन्द के सूचना पटल पर चस्पा किया गया जिसके माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत महासमुन्द

महासमुन्द, दिनांक 30/09/2024

पु. क्रमांक / PMAY-G / जि.पं. / प्रे.वि. / 5920 / 2024-25
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला महासमुन्द की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला महासमुन्द को वेबसाईट में अपलोड की कार्यवाही हेतु।
4. सहायक संचालक, जन संपर्क, जिला महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर विज्ञापन की प्रति चस्पा कराने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत महासमुन्द





फोन नं. 07723-223834
फैक्स नं. 07723-224036
email :zp-msamund.cg@nic.in

कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमांक / PMAY-G / जि.पं. / विज्ञापन / 5918 / 2024-25

महासमुन्द, दिनांक 30/09/2024

// मर्ती विज्ञापन //

संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/1251/PMAY-G/स्था./31/2024, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/09/2024 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु जिला/जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत रिक्त अधोलिखित पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन उपरान्त अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 30.09.2024 से दिनांक 15.10.2024 तक सायं 05:30 बजे तक निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

क्र	पद नाम	कुल पद संख्या	अनारक्षित				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
			मुक्त	महिला	मू.पू. से.	विकला ग	मुक्त	महिला	मू.पू. से.	विकला ग	मुक्त	महिला	मू.पू. से.	विकला ग	मुक्त	महिला	मू.पू. से.	विकला ग
1	प्रशिक्षण समन्वयक (जिला स्तर)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	लेखापाल (जिला स्तर)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (जिला स्तर)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सहा.ग्रेड-03 (जिला स्तर)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	विकासखण्ड समन्वयक (जनपद स्तर)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (जनपद स्तर)	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्त

• शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु मेरिट अंक

क्र.	पदनाम	संविदा वेतन	अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1	प्रशिक्षण समन्वयक (जिला स्तर)	51780/- (लेवल-12)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 60 % अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। अथवा ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. कौशल विकास / शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				शासकीय/गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक अधिकतम 20 अंक)	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
				साक्षात्कार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	10
				प्राथमिकता	
				• उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता।	
				• निर्माण कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता।	
				• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता।	

Salon

क्र.	पदनाम	संविदा वेतन	अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
2	लेखापाल (जिला स्तर)	23350/- (लेवल-6)	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार	हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक अधिकतम 20 अंक)	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
प्राथमिकता					
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में कार्यानुभव को प्राथमिकता। • उच्च शिक्षा/एम.काम. को प्राथमिकता। 					

क्र.	पदनाम	संविदा वेतन	अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (जिला एवं जनपद स्तर)	23350/- (लेवल-6)	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार	हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक अधिकतम 20 अंक)	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
प्राथमिकता					
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यानुभव को प्राथमिकता। 					

क्र.	पदनाम	संविदा वेतन	अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
4	सहायक ग्रेड-03 (जिला स्तर)	18000/- (लेवल-4)	छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार	हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक अधिकतम 20 अंक)	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
प्राथमिकता					
<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यानुभव को प्राथमिकता। 					


क्र.	पदनाम	संविदा वेतन	अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
5	विकास खण्ड समन्वयक (जनपद स्तर)	39875/- (लेवल-10)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी.ई./बी.टेक. में न्यूनतम 60 % अंक के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से न्यूनतम 60 % अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्य अनुभव।	हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	30
				शासकीय/गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक अधिकतम 20 अंक)	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
				साक्षात्कार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	10
प्राथमिकता					
<ul style="list-style-type: none"> • शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव को प्राथमिकता। • निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता। 					

(अनिवार्य शर्त:- अनुभव हेतु पदों में दिए गए आवश्यक वर्षों का सैलेरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है।)

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत है:-

1. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का पत्र क्र./1127/प्र.मं.आ.यो.-ग्रा./स्था./31/2024 नवा रायपुर दिनांक 03.09.2024 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर संविदा रिक्त पदों की पूर्ति बाबत विज्ञापन दिनांक 18.09.2024 तक कार्यालयीन दिवस पर समय शाम 05:00 बजे तक के लिए जारी किया गया था। जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है, किन्तु जिन आवेदकों का आवेदन फार्म पूर्व में निर्धारित दिनांक 18.09.2024 तक समय शाम 05:00 बजे तक प्राप्त हो चुका है। उन आवेदकों को पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि यदि आवेदक को यह लगता है कि पूर्व में प्रस्तुत आवेदन में कुछ कमियाँ हैं तो वह पुनः आवेदक प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में नवीन आवेदन पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द के नाम से दिनांक 15.10.2024 को सायं 05:30 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-सीमा पर जारी छूट संबंधी ओदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 सितंबर 2024 के आधार पर किया जावेगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
5. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
7. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरन्तर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
8. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31-दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
9. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
10. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
11. आवेदक जिनकी 02 से अधिक संतान, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
12. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
13. संविदा पद नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
14. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
15. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

16. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मैरिट आधार पर सूची बद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदुपरान्त कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
17. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतियक्षा सूची की वैधता 01 वर्ष के लिए रहेगी।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
19. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
20. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं जिला/जनपद स्तर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
21. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बन्धकारी होगा।
22. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र में संलग्न किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
23. दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
24. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अटल नगर, नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य होगा।
25. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का पत्र क्र./1127/दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से जारी विज्ञापन को संचालक प्र.मं.आ.यो.-ग्रा. के पत्र क्र./1250 दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है।
26. आवेदक पत्र का विस्तृत प्रारूप प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जिला पंचायत महासमुन्द में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है तथा जिला महासमुन्द के वेब-साईट www.mahasamund.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम.....जिला/जनपद पंचायत स्तर.....
जिला का नाम.....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत महासमुन्द
छत्तीसगढ़

अभ्यर्थियों
को
स्वप्रमाणित
फोटो लगाना
होगा

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में :
- (ब) अंग्रेजी में :
2. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :
3. जन्म तिथि (अ) अंको में :
- (ब) शब्दों में :
- (स) दिनांक 01.09.2024 को आयु वर्ष : माह..... दिन.....
4. वर्ग (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव) :
5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिंदी में) :
- :
- :
- :
6. स्थायी पता (हिंदी में) :
- :
- :
- :
7. मोबाईल नम्बर :
8. ई-मेल आई डी :
9. आधार नम्बर :
10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :
- :

क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

11. कार्य अनुभव का विवरण :-

क्रमांक	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1						
2						
3						
4						

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

1. अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट।
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.....
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारीयां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :.....

स्थान :.....

.....
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर